उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
Uttar Pradesh State Legal Services Authority

अपराध के पीड़ितों हेतु क्षतिपूर्ति योजना

यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध हुआ हो, तो उसे चिकित्सीय, वित्तीय एवं शैक्षणिक सहायता हेतु क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है।

पात्रता

1- कोई भी पीड़ित व्यक्ति अथवा उसका आश्रित क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन कर सकता है ।
2- हत्या, बलात्कार, अंग भंग, एसिड हमला, मानसिक संताप, मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्ति, यौन उत्पीड़न, गर्भ की क्षति, पूर्ण/आंशिक विकलांगता, क्रास बार्डर फायरिंग से पीड़ित व्यक्ति इत्यादि क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं ।
3- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, (पाक्सो) 2012 में वर्णित यौन अपराधों के पीड़ित नाबालिग बच्चे भी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के पात्र हैं।
4- यदि अपराधी का पता नहीं चलता है या उसकी शिनाख्त नहीं हो पाती है लेकिन पीड़ित की शिनाख्त हो जाती है और जहाँ मुकदमें का कोई विचारण न्यायालय में शुरू नहीं होता है वहाँ भी पीड़ित या उसका आश्रित क्षतिपूर्ति के लिये आवेदन कर सकता है।
5- यदि घटना के 48 घण्टे के अन्दर एफ.आई.आर. करा दी है, तो वह क्षतिपूर्ति के लिये पात्र होगा। एफ.आई.आर. में विलम्ब उचित आधार पर माफ किया जा सकता है ।
6- यह आवश्यक है कि पीड़ित द्वारा विचारण एवं अन्वेषण के दौरान पुलिस अथवा अभियोजन पक्ष को सहयोग दिया गया हो।

पीड़ित द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए प्रक्रिया

1- क्षतिपूर्ति के लिये प्रार्थना-पत्र, पीडित/आश्रित व्यक्ति के द्वारा सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा संबंधित न्यायालय में दिया जा सकता है, जिसकी संस्तुति न्यायालय द्वारा की जा सकती है।
2- अपराध घटित होने के एक वर्ष की अवधि के अन्दर प्रतिकर हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर देना चाहिए।
3- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति से इन्कार करने पर 90 दिन के अन्दर उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपील कर सकते हैं।
4- घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित पुलिस अधिकारी के लिये यह आवश्यक है कि वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को तत्काल अन्तरिम प्रतिकर हेतु सूचना प्रेषित करें।
5- पीड़ित व्यक्ति या आश्रित अथवा थाने के प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा भी अन्तरिम अथवा अन्तिम प्रतिकर हेतु संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया जा सकता है। प्रार्थना-पत्र के साथ एफ.आई.आर. की प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
6- अपराध की संवेदनशीलता एवं पीड़ित की विशेष आवश्यकता के आधार पर रु 1,00,000/- तक विशिष्ट उपचार एवं देखभाल हेतु अन्तरिम सहायता प्रदान की जा सकती है।
7- पीड़ित को मुफ्त चिकित्सा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर थानाध्यक्ष अथवा क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर उपलब्ध करायी जायेगी।
8- जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को भी पीड़ित/पीड़िता, जिला शासकीय अधिवक्ता या ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के माध्यम से क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं।

विधिक विषयों एवं योजनाओं से संबन्धित जानकारी एवं सहायता के लिए सम्पर्क करें

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं आपकी तहसील के तहसीलदार से

दूरभाष - टोल फ्री : 1800 419 0234, 15100, 9452267450, 9839247613, 9453771821

ई-मेल : upslsa@nic.in Website : upslsa.up.nic.in